संख्या-1/2019/2310/46-1-18-1000(25)/2018टी.सी.

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
शामली, उ.प्र.।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक **15** जनवरी, 2019

विषयः- जिला योजना वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य मद) के अन्तर्गत जनपद शामली हेतु कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) कार्य सम्बन्धी कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1132/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 11-12-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत जनपद शामली की योजना हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत 5.125 कि.मी. सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक के स्तम्भ-6 में अंकित अनुमानित लागत की कुल धनराशि रू. 335.084 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंतीस लाख आठ हजार चार सौ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष स्तम्भ-4 की सडकवार/योजनावार के संलग्नक के स्तम्भ-7 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 268.065 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में (स्तम्भ-8 के अनुसार) 50 प्रतिशत अर्थात धनराशि रू. 134.03 लाख (रूपये एक करोड. चौंतीस लाख तीन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के 75 प्रतिशत अंश का पूर्ण उपयोगहो जाने तथा समितियों का मैचिंग अंश प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जा सकेगी।

(3) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(4) कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(5) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तद्हेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-9 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक के स्तम्भ-10 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(8) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2019) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्वता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(12) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(13) कार्य की विशिष्टयाँ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र गन्ना आयुक्त के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(15) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(16) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यो के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-28/दस-2019, दिनांक 14 जनवरी, 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2019/2310/46-1-18-1000(25)/2018टी.सी., तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,
8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
12- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
13- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1/2019/2310/46-1-18-1000(25)/2018टी.सी., दिनांक 15 जनवरी, 2019 का संलग्नक

क्र. सं.	जनपद	सं.	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	वानिकी करण की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु वानिकी करण सेन्टेज रहित कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 % अवमुक्त धनराशि (ला.रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	शामली	1	मुण्डेट कला में मेन रोड से ओम सिहं पुत्र श्री दयाराम के मकान तक	0.366	36.443	29.154	14.577	0.0640	1.5980	12.9150
		2	ग्राम टिटौली में शामली करनाल मार्ग से जोगेन्द्र पुत्र श्री श्याम सिह कें मकान तक व साईड गली मांगे राम पुत्र श्री जगराम के मकान तक	0.154	12.208	9.766	4.883	0.0220	0.5360	4.3250
		3	गोहरनी में खाले की पटरी पर सी0सी0 सडक निर्माण कार्य	0.250	12.979	10.383	5.192	0.0230	0.5690	4.6000
		4	गांव भाज्जू में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से गावं तक	0.260	17.573	14.058	7.029	0.0310	0.7710	6.2270
		5	गावं चुनसा में भाज्जू चुनसा मार्ग से गावं तक	0.225	16.704	13.363	6.682	0.0300	0.7330	5.9190
		6	गाव भिक्का माजरा में मन्दिर से नहर की ओर	0.200	13.858	11.086	5.543	0.0250	0.6080	4.9100
		7	गोगवान बाईपास से नरेश ठाकुर के मकान तक	0.120	7.806	6.245	3.123	0.0140	0.3430	2.7660
		8	ग्राम कैडी में सुदेश पुत्र श्री सेवा राम के मकान से गोगामाढी तक	0.375	45.913	36.730	18.361	0.0780	2.0110	16.2720
		9	गोगवान यशपाल के मकान से शमशान तक	0.245	18.687	14.950	7.475	0.0330	0.8200	6.6220
		10	ग्राम चौंदाहेडी में मांगे राम पुत्र श्री मुक्तयार सिंह के मकान से वीरसैन पुत्र श्री कदम सिंह के खेत तक	0.155	15.504	12.403	6.202	0.0270	0.6800	5.4950
		11	शामली करनाल मार्ग पर नयागाव भट्टे से गावं तक	0.460	22.411	17.929	8.965	0.0400	0.9830	7.9420
		12	सिक्का से जलालपुर अवशेष भाग	0.915	39.039	31.231	15.614	0.0670	1.7100	13.8370
		13	गांव मालेण्डी में राम कुमार पुत्र श्री पदम सिंह के मकान से मालेण्डी भैसवाल नाले की पटरी तक	0.655	33.304	26.643	13.322	0.0590	1.4610	11.8020
		14	बझेडी सम्पर्क मार्ग भट्टे से ऊन चौसाना मार्ग तक	0.145	8.305	6.644	3.322	0.0150	0.3640	2.9430
		15	सुन्दरनगर मुस्तफाबाद मेन रोड पर कुलदीप के चक से भरतभडी की ओर	0.600	34.350	27.480	13.740	0.0600	1.5060	12.1740
			जनपद योग	**5.125**	**335.084**	**268.065**	**134.030**	**0.5880**	**14.6930**	**118.7490**

(रूपये एक करोड़ चौंतीस लाख तीन हजार मात्र)

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।